

Bili, we maintained that all the relevant papers must be laid on the Table of the House so that the House could take a view on this. But we are seeing selected portions of secret documents being leaked to the Press. Therefore, I think this is a very unseemly development. The Government owes an explanation to this august House as per the assurance that was given by the Prime Minister.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up clarifications in relation to the calling attention to matter of urgent public importance. Shri Suresh Pachouri.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : आदरणीय सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में स्थित चिड़ियाघरों और अभयारण्यों में बहुमूल्य वन्य जीवों की मृत्यु के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जब चर्चा चल रही थी, उसी दौरान नंदन कानन चिड़ियाघर में एक और सफेद शेर की हत्या हो गई ... (व्यवधान)...

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Mr. Chairman, Sir, we should have a Short Duration Discussion on this matter.

MR. CHAIRMAN: No, no. It has already been half done. Let him complete this. *(Interruptions)*

SHRI KAPIL SIBAL: The point is, everyday we see... *(Interruptions)*

SHRI RAJU PARMAR (Gujarat): Everyday it is happening. Elephant, bear... ..

MR. CHAIRMAN: Let him complete. *(Interruptions)*

SHRI KAPIL SIBAL: Let us have a full discussion on this matter. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Calling Attention cannot not be converted into a Short Duration Discussion. Besides, there is a Short Duration Discussion on the disinvestment policy of the Government. Let him complete this. I think this itself will become a Short Duration Discussion.

CLARIFICATIONS IN RELATION TO THE CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE / DEATH OF PRECIOUS WILDLIFE IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY INCLUDING ZOOS AND WILDLIFE SANCTUARIES - Contd.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था। महोदय, जब हम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान एक और

शेर की हत्या हो गई। यह अत्यंत निंदनीय है। उससे एक दिन पहले एक घड़ियाल का सिर काट दिया गया। स्वयं मंत्री जी अपने वक्तव्य में यह स्वीकार कर रहे हैं कि इसके निदान में नंदन कानन वन के निदेशक और पशु चिकित्सक अक्षम रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब उन्हें यह अहसास हुआ कि नंदन कानन में पीने के पानी की कमी थी, वहां क्षमता से अधिक जानवर थे, अनुपयुक्त आश्रय व्यवस्था थी, सफाई के पर्याप्त मानक नहीं अपनाए गए थे और घड़ियालघरों में वन्य जीवों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे। जब उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकारा है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि उन्हें इस कमी का अहसास कब हुआ और उसके लिए वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब यह स्वीकारोक्ति स्वयं भारत सरकार की है तो इसके लिए निश्चित रूप से भारत सरकार भी आंशिक रूप से जिम्मेदार है। मैं आंशिक रूप से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह जो वाइल्ड लाइफ है, यह विषय कन्करेंट लिस्ट में आता है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट है 1972 का और जो अमेंडेड ऐक्ट है 1991 का, यह ऐक्ट भारत सरकार द्वारा पास किया गया है। मान्यवर, देश के अन्य भागों में भी यही स्थिति है जैसे गुजरात में सिंहों की हत्या हुई, रणथंभौर में चीतलों की हत्या हुई, मुरैना में 50 मोरों की हत्या हुई, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणियों की स्थिति अत्यंत गंभीर है, दिल्ली के चिड़ियाघर में 2 सफेद बाघों की मृत्यु हो गई, धनकेनाल में 12 हाथी मर गए। महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि वन्य जीवों को संतुलित और संगठित सेवा उपलब्ध हो तथा विभिन्न एजेंसियों जैसे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार का वन विभाग और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बीच में पर्याप्त समन्वय हो। ऐसी आवश्यकता है। क्योंकि यदि यह खामियां रह जाती हैं तो उसका नुकसान मूक प्राणियों को मूक पशुओं को उठाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में विश्व उपचारित बाजरा खाने से मुरैना में 50 मोरों की मृत्यु हो गई। भविष्य में और मोरें न मरें इसके लिए यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार ने समुचित कदम उठाए हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि भविष्य में उपचारक बीजों के संबंध में और उनकी चैकिंग की व्यापक व्यवस्था की जाए और फ्रेण्डली उपचारण के लिए नियम और कानून बनाए जाएं। ऐसी भी आवश्यकता है कि जहां भी जानलेवा बीमारी के लक्षण देखे उनके बारे में इंटरनेट पर जानकारी देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों से भी जुड़कर समन्वित प्रयास उपचार के लिए करना चाहिए। भारत में निरन्तर टाइगरों की कमी को मद्दे नजर रखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो सुझाव दिए हैं उनका परिपालन सुनिश्चित किया जाए। नेशनल पार्क, चिड़िया घर और सैन्च्युअरी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके विशेष वेतन पर भी विचार करना चाहिए ताकि लोगों का रुझान इन क्षेत्रों में काम करने का हो। प्रश्न यह उठता है कि आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि वन्य प्राणी संस्थानों के अंतर्गत जो पदस्थ कर्मचारी हैं वह शारीरिक रूप से पुष्ट हों, सक्षम हों और उनका अमला दुर्गम स्थानों में निवास न करें। प्रत्येक वन अधिकारी को कम से कम तीन वर्ष के लिए प्राणी संरक्षित क्षेत्र में पदस्थ किया जाए। 3 नवम्बर, 1997 को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक पद को प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पद करने के लिए केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री ने पत्र लिखे थे। लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने राज्यों में उक्त पत्र का परिपालन हुआ है। केन्द्र इस बात की समीक्षा कर रहा है या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूँ? मान्यवर, वन्य प्राणी संरक्षण के महत्व को देखते हुए इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे प्रायोरिटी सैक्टर घोषित किए जाने की इस अवसर पर मांग करता हूँ। वर्तमान में वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्यों को पर्याप्त वित्तीय साधन दिए जाएं क्योंकि

स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 19 दिसम्बर, 1997 को तत्कालीन वन मंत्री को पत्र लिखकर वाइल्ड लाइफ सैक्टर में फंड बढ़ाने का अनुरोध किया था, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए और अधिक फंड की मांग की थी। लेकिन वांछित राशि उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्लान बजट में कम से कम 15 प्रतिशत अंश वन प्राणी शाखा को आवंटित किया जाए। यह सिफारिश वन्य जीव सलाहकार मंडल और राज्य वन्य जीव सलाहकार मंडल द्वारा भी की गई है। मैं इस से पहले कि अपनी बात समाप्त करूं, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार के वेटेनरी विभागों को साधन सम्पन्न किए जाएं। जैसे मध्य प्रदेश में जो वेटेनरी कॉलेज हैं उसमें वन्य प्राणी हल्थ मॉनिटरिंग फंड और डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च सैल की जो स्थापना की गई है उसको सुदृढ़ किया जाना जरूरी है। नन्दन कानन वन में बाघों की मृत्यु से जो बात सामने आई उसको देखते हुए बंध्याकरण प्रजनन पर विचार किया जाना जरूरी है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारे देश की पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। मेरी मांग है कि प्रोजेक्ट टाइगर हैड से और सेंट्रल हैड से मध्य प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त राशि मिले। स्वयं केन्द्रीय वन मंत्री मध्य प्रदेश में कानहा में गए हैं। वहां 5 टाइगर देखकर आए हैं। इससे वह प्रभावित हुए हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे विश्व में जो टाइगरों की संख्या है उसकी 25 प्रतिशत संख्या मध्य प्रदेश में है। इसलिए सेंट्रल हैड और प्रोजेक्ट टाइगर हैड से मध्य प्रदेश को समुचित राशि प्रदान किया जाना बहुत आवश्यक है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है यह माननीय मंत्री जी की भी सोच है, पर्याप्त ट्रेनिंग का व्यय केन्द्रीय शासन वहन करे तब यह पर्याप्त ट्रेनिंग मिल पाएगी। अंत में, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि समय-समय पर इस विभाग की बैठक इस बात के लिए हो कि जो कान्फ्रेंस के जरिए विभिन्न निष्कर्ष निकाले गए हैं और समय-समय पर आपके मंत्रालय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनके परिपालन में क्या हुआ? केवल यह होने से नहीं चलना है कि हमने इन्स्ट्रक्शंस दे दिए थे। उसका परिपालन कितना हुआ इसकी समीक्षा की जानी बहुत जरूरी है। इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री जी हैं जिसकी बैठक लम्बे अरसे तक नहीं हो पाई है। जो इस बात को उजागर करता है कि उनका पशु-पक्षियों के प्रति कितना प्रेम है। इसीलिए मैंने उस दिन इस बात का उल्लेख किया था। मैं यह मानकर चलता हूं कि आए दिन हमें वन्य-प्राणियों को खोना पड़ रहा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे नीतिकारों के मन में कुछ न कुछ दूरदर्शिता का अभाव है। आवश्यकता इस बात की है कि जैसे - साउथ अफ्रीका में एनीमल केयर को वरीयता के आधार पर रखा जाता है वैसे ही हमारे देश हिन्दुस्तान में भी एनीमल केयर को और उससे संबंधित कर्मचारियों को प्राथमिकता और वरीयता दी जाए। एनीमल केयर से संबंधित कर्मचारियों को भी सुयोग्य अवसर प्रदान किए जायें क्योंकि आए दिन जो वन्य-प्राणियों की मृत्यु हो रही है उससे पूरा देश चिंतित है और निश्चित रूप से पूरे देश की सम्पत्ति नष्ट हो रही है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ध्यानाकर्षण के जरिए से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री कैलाश जोशी (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी के उत्तर को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। वास्तविकता यह है कि पिछले पांच वर्षों में हमारे देश में बाघों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है, वृद्ध आयु में मृत्यु हो जाने के कारण, उनके शावकों के बीमार हो जाने से उनकी मृत्यु हो

जाने के कारण, तथा शिकारियों द्वारा उनकी हत्या करने के कारण। जो कमियां होती हैं या हुई हैं वह तो समझ में आती हैं, परन्तु पिछले दो महीनों में जिस तरह की घटनाएं इन अभ्यारण्यों में और पिड़ियाघरों में घटी हैं वह वास्तव में हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुछ बातों को स्वीकार किया है। प्रबन्ध व्यवस्था की कमी, प्रबन्ध में लगे हुए अधिकारियों की लापरवाही को भी उन्होंने स्वीकार किया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिनांक 28-7-2000 को वन राज्य मंत्री द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि कमियां बहुत सी हैं और अब हम क्या करने वाले हैं। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं केवल शीर्षकों को मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है- The safety measures proposed to check the recurrence of such incidents are as follows:

One, upgradation of animal housing and healthcare facilities.

Two, prevention of disease

Three, administrative and financial matters.

Four, general.

इसमें वे सभी महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं जो हम सब के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देते हुए जो बातें कहीं हैं और उन्होंने कुछ बातों को बेबाकी से स्वीकार किया है, मैं उनको तथा दिनांक 28-7-2000 को प्रश्न के उत्तर में वन राज्य मंत्री जी ने जो कुछ यहां पर स्वीकार किया है उसके लिए मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ किन्तु मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये जानकारीयां सरकार को अब प्राप्त हुई हैं? क्या इसके पहले ये जानकारीयां प्राप्त नहीं हुई थीं? स्थान कम होना, उनकी संख्या अधिक होना, बीमारी के समय ध्यान न देना, उचित पानी का प्रबंध नहीं होना, कर्मचारियों की उपेक्षा आदि कारणों से ये घटनाएं घटी हैं। क्या ये सारी कमियां अब हमारे ध्यान में आई हैं? क्या इससे पहले ये कमियां किसी के ध्यान में नहीं आई थीं? जिस प्रकार की हमको यहां पर जानकारी मिली है वह तो इससे भी अधिक चिन्ताजनक है। उत्तर में यह कहा गया है कि समय पर सभी कदम उठाये गये हैं। नंदनकानन के अधिकारियों ने भी स्पष्ट कह दिया है कि समय पर कदम उठाये गये हैं। जो दल वहां जांच के लिए गए, उन्होंने भी कहा है कि जो कुछ व्यवस्था की जा सकती थी वह की गई है। किन्तु यह सच नहीं है। जो जानकारीयां मिली हैं, उनके आधार पर तो स्थिति यह है कि पहले बाघ की मृत्यु 23 जून को हुई थी और 23 जून के बाद 5 और 6 जुलाई को बाकी के 6 बाघों की मृत्यु हुई है। क्या इस बीच में वास्तव में रोग का निदान किया गया था कि किस रोग से वे मरे हैं? अब उत्तर दिया जा रहा है कि इस बीमारी के कारण वे मरे हैं परन्तु उन 12 दिनों में क्या निदान किया गया? यह भी समाचार मिले हैं कि जो इंजेक्शन उनको दिया गया, वह इंजेक्शन उपयुक्त नहीं था। वह इंजेक्शन केवल बचाव के लिए दिया जा सकता है। वह प्राण बचाने और रोग समाप्त करने के लिए नहीं दिया जाता किन्तु वह इंजेक्शन वहां पर दिया गया। यह भी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य सूत्रों से प्राप्त हुई है। उसी प्रकार एक और बड़ी आश्चर्यजनक जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस दिन वहां केन्द्रीय दल जाने वाला था, उसके एक दिन पहले उन हीजों की सफाई पम्पिंग करके कराई गयी जिन हीजों से उन प्राणियों को पानी पिलाया जाता था। यह भी समाचार प्राप्त हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप

उनका उत्तर दें कि उनमें कितनी सत्यता है। इसके अतिरिक्त उनको जो मांस दिया जाता था, वह भी खराब था। यह भी उनकी मृत्यु के कारणों में से एक कारण है। सभापति महोदय, इससे बढ़कर बात यह है कि वहां के स्थानीय अधिकारियों ने इनकी इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाने के बाद भी तत्काल प्रदेश के मुख्य मंत्री, वन मंत्री और अन्य अधिकारियों को सूचित नहीं किया। उनको बाद में सूचना मिली। तब वहां पर मुख्य मंत्री गये, वन मंत्री गये और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे। सभापति महोदय, यह सब बताता है कि वास्तव में वहां पर कितनी भयंकर उपेक्षा हुई है, नन्दनकानन के मामले में, गीर के मामले में भी और उसी प्रकार से रणथम्बीर में चीतलों के मामले में भी। चीतलों के बारे में तो स्थिति यह बनी कि कुछ तो टी.बी. से मरे और बाकी को बाहर जाकर कुत्तों ने भार डाला। वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था इतनी लचीली है जिसमें वहां के अधिकारियों द्वारा उनकी इतनी भयंकर उपेक्षा की जाती है। इसका परिणाम यह होने वाला है कि आगे चलकर हमको भयंकर रूप से इनके अभाव का सामना करना पड़ेगा। ये मूल्यवान वन्य प्राणी हमारे बीच हमें दिखाई नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त महोदय, मैं एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आखिर ये अभ्यारण्य और चिड़ियाघर क्यों बनाए गये हैं? चिड़ियाघर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहां पर विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को रखा जा सके, लोग उनको जाकर देखें, बच्चे उनको जाकर देखें, छात्र उनको जाकर देखें जिससे वे परिचित हो सकें कि हमारे देश में किस प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं किन्तु चिड़ियाघरों में अगर ऐसी स्थिति बनती जा रही है जिसके कारण वहां जाने वाले भयभीत होने लगें, भय से ग्रस्त हो जाएं तो उनका लाभ क्या होगा? इसी प्रकार से हमने अनेक अभ्यारण्य भी बनाए हैं और अभ्यारण्य इसलिए बनाए हैं ताकि इन वन्य प्राणियों की सुरक्षा हो सके, इसके साथ साथ उनके प्रजनन का काम वहां पर चलता रहे। जिस वातावरण में वे रहते आए हैं, उस वातावरण में उन्हें वहां पर रखा जा सके। पिछले दो महीनों में जो घटनाएं घटी हैं, उसने हमारे सारे चिड़ियाघरों की और अभ्यारण्यों की प्रबंध व्यवस्था की कलाई खोलकर रख दी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे आपने उत्तर में कुछ कड़वी-सच्चाइयों को स्वीकार किया है, उतनी ही कड़ाई से आगे कदम उठाने के बारे में आप गंभीरता से विचार करें और इस बात का विचार करें, जो प्रश्न यहां पर आए हैं जैसे यह कहा गया कि प्रशिक्षित कर्मचारी वहां पर नहीं है, पशु रोग के विशेषज्ञ हमको ऐन समय पर प्राप्त नहीं होते, वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी के बारे में कोई लेखा-जोखा नहीं लिया जाता है। वहां पर जो पैसा जाता है, उस पैसे का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसको देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्र सरकार से धन जाता है, राज्य सरकारों को प्राप्त होता है, राज्य सरकारों से वहां पहुंचता है, कितनी मात्रा में पहुंचता है, उसका ठीक प्रकार से सदुपयोग होता है कि नहीं, इसकी मॉनीटरिंग की कोई व्यवस्था है या नहीं? क्योंकि ये व्यवस्थाएं नहीं हैं तो उसी के परिणामस्वरूप ये घटनाएं घटी हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया है, निकट भविष्य में उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। हम चाहेंगे कि उस रिपोर्ट के आधार पर तथा जो तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर विभाग ऐसी प्रभावी व्यवस्था करे जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति देश के अंदर न होने पाए।

मंत्री जी इस बात को भी जानते हैं कि कुछ उपाय तो ऐसे हैं जो दूरगामी हो सकते हैं, जिनमें धन की आवश्यकता है, जिनमें और प्रकार के अन्य पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी सच है कि कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं, जिनका तात्कालिक हल निकलना चाहिए और वह तात्कालिक हल निकालने के लिए आप अपने विभाग को

चुस्त बनाएंगे और जिस प्रकार के अनुभव, कड़वे अनुभव इन दुर्घटनाओं में हमको हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आगे उनकी पुनरावृत्ति न हो, उस दिशा में जो कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होगी, उनको उठाने का आप प्रयास करेंगे अन्यथा यह स्थिति न बने कि धीरे-धीरे हमारे इन वन्य जीवों की संख्या घटती चली जाए, बाघ मरते जाएं, सफेद शेर जो हमारे देश में केवल कुछ सीमित स्थानों में पाए जाते हैं, उनकी प्रजाति नष्ट हो जाए। यह स्थिति देश में उत्पन्न न हो, इस दिशा में आप पूरी सक्रियता से काम करेंगे, इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. Sir, the issue is quite alarming. Newspapers have to allot some space daily for deaths of wild animals in this country. Now, that has become a necessity. It has become a regular phenomena. Sir, I congratulate the Minister for admitting that the Zoo management, by and large, in India has totally failed. The Government was quite frank enough to admit that. The reasons are: crowding of animals in the enclosures, an ingress of livestock into the zoo because of the breaches in the boundary wall -- as the Minister himself has stated -- non-repairing of fencing of white tiger safari and unhygienic method of feeding, poor drainage system, increased vector loads to bushes and shrubs in the vicinity of the zoo. Umpteen number of reasons have been stated by the Minister. Sir, I am not questioning the capability of the State administration, because it is in the Concurrent List. The role of the Central Government is only to assist and provide the funds. Sir, I want to have one clarification from the Minister: Is it true that the United Nations has conducted a survey on our wildlife in which they have stated that within 10 years this species of tigers is going to be wiped out in this country. The survey has stated that not more than 2,000 tigers are there in the country, and not 5,000 as has been estimated by our surveyors. As per the report which I have gone through, they have recommended the stoppage of grant for wildlife in the country. Sir, the reason they have stated was, "Apathy, complacent bureaucracy competition, rather than corruption, between Government Departments, corruption at all levels and culture of cover up are the chief problems." The report that has been given by the United Nations on wildlife is quite alarming. I would like to know whether the Minister is aware of the contents of this report. They have gone to the extent of saying that organized crime network is there in this country which is mainly responsible for the elimination of wildlife. Sir, as far as the deaths of tigers in the Nandankanan zoo, lions in the Gir sanctuary and Cheetahs in Ranthambore and some peacocks in Gwalior are concerned, it is very unfortunate. You take any species of wildlife, you find that it is on verge of extinction in this country. I do not know whether

the Government has taken it very seriously. What are the measures which they propose to take to eradicate this menace? In this connection, I want to make some suggestions because the Minister himself has admitted that the Government of India has failed in zoo management. I do not want to go into this question still further. Sir, I suggest to the Government to have the Indian Zoological Service on the lines of the Indian Forest Service. That much importance has to be given to this subject. The Government should consider that a separate Indian Zoological Service is to be created, and they should declare a moratorium on the creation of new zoos. As long as you build up a system for perfectly managing the existing zoos, for God's sake, don't create any new zoo. There is an impending necessity for introduction of professionalism in the zoo management. That is the need of the hour.

Sir, as far as the trypanosomiasis disease is concerned, it is very difficult to pronounce it. But this is not the first time that animals have been killed in zoos because of this disease. In 1970, four animals were killed from this disease in the Hyderabad zoo. In 1996, one tiger was killed, and in 1998, three tigers were killed in Bangalore. Till now, we have not been able to diagnose as to what the reasons for this disease are, how it has to be cured and no preventive measures have been taken by the Government. Sir, I should say that there is some administrative lapse. In spite of all the reasons, maybe, natural or old age, whatever may be the constraints the zoo managements are facing, there are administrative lapses which have indirectly resulted in the death of these animals. One reason which has been mentioned in the report also, is the frequent transfer of veterinarians and lack of trained veterinarians. The State Government should be instructed to allow direct flow of funds from the Central Zoo Authority to the zoo administration. With regard to the prevention of diseases, immunisation of all the livestock within a certain radius, say five kms or seven kms from the zoo, should be done and perfect hygienic conditions should be maintained. With regard to the supply of meat to the animals, it should be supplied in close containers. All these recommendations have been made in the United Nations report. I do admit the constraints that are faced by the Central Government because it is in the Concurrent List. I think, the Minister was bold enough to admit the lapses because of its being in the Concurrent List. The Government of India can easily accept the lapses on the part of the State Governments. I think that was the reason for the Minister to admit very openly the lapses on the part of the State Governments. Sir, this is a very serious matter. As the

discussion is going on, wild animals are going to be killed. Everyday, the newspaper reports are coming in this respect. The Government should take it very seriously, and the system that has to be developed, should be perfect, and till such time, the Government should not allow the creation of new zoos. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: It is one o'clock now. There are six speakers and the Minister has to reply. So, we adjourn the House for lunch till two o'clock.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair.

Re. Personal explanation by Shri Ram Jethmalani

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairperson, Sir,(Interruptions).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, 'Clarifications in relation to Calling Attention'. ...(Interruptions)...

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, can I seek only information about the verdict on two of my pending requests--one, for an opportunity to defend myself against accusations which have been made in this House against me; and, second, for 'Leave of Absence'?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): जहां तक पहला प्रश्न है इस संबंध में जो आपने जो पत्र माननीय सभापति जी को दिया है, वे उस पत्र को एक्जामिन कर रहे हैं। जब भी वह किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तब हम आपको बताने की स्थिति में होंगे। जहां तक दूसरी बात है कि आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसकी सूचना दे दें।

श्री राम जेठमलानी : मैंने दे दी है।

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): When will the reply come, Sir? When will the reply to his first query come? ...(Interruptions)... Since morning, he has been waiting in the House to defend himself. When will it come? ...(Interruptions)... When will the Member know? ...(Interruptions)... It is very unfortunate. He has a right to defend himself. ...(Interruptions)...

SHRI SWARAJ KAUSHAL (Haryana): Sir, we all want that the Member should be given an opportunity to defend himself ...(Interruptions)... That is the sense of the House.